Result Mitra Daily Magazine

भूल जाने का अधिकार

✓ हालिया संदर्भ :

- सुप्रीम कोर्ट यानि SC ने एक ऐसे मामलों पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसका परिणाम संभवतः भारत में भूल जाने के अधिकार यानि Right to be forgotten (RTBF) की रूपरेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी।
- SC को यह निर्धारित करता है कि क्या RTBF एक मूल अधिकार है ? और यदि ऐसा है तो भारतीय संविधान में गारंटीकृत अन्य मूल अधिकारों से यह किस प्रकार संबंधित है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बैंच मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई करेगी।
- मद्रास HC ने 27 Feb को कानूनी खोज (सर्च) पोर्टल इंडियन कानून को 2014 के बलात्कार एवं धोखाधडी के मामले में दिए गए फैसले को सर्च पोर्टल पर से हटाए जाने के निर्देश दिए है।
- 2021 में इस केस से संबंधित व्यक्ति ने मद्रास HC में सुनवाई के लिए अपील किया था, जिसमें उसने कहा था कि चूंकि उसका नाम उस फैसले से संबंधित मामले में कानूनी पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, इसलिए उसे ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता से वंचित कर दिया गया था।

✓ RTBF क्या है ?

- RTBF को सामान्यतः किसी के डिजिटल पदचिन्ह (इंटरनेट खोजों आदि से) को हटाने के रूप में वर्जित किया जाता है, ऐसी स्थिति में जब यह गोपनीयता के अधिकार का उपलब्ध का उल्लंघन करती है।
- वर्ष 2014 में लक्जमबर्ग में स्थित यूरोपीय संघ के न्यायालय (CJEU) ने फैसला दिया था कि लोगों के पास भूल जाने का अधिकार मौजूद है।
- CJEU, यूरोपीय संघ से संबंधित मामलों की व्याख्या से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय है।
- RTBF को यूरोपीय सूचना गोपनीयता विनियमन में "मिटाने के अधिकार" के रूप में वर्णित किया जाता है।

- CJEU ने उपरोक्त फैसला 'गूगल-स्पेन केस' में सुनाया था, जब न्यायालय ने स्पेनिश वकील मारियो कोस्टेजा गांजालेज की एक याचिका पर सुनवाई की थी।
- इस मामले में मारियो ने गूगल से सामाजिक सुरक्षा ऋण के कारण उनकी संपत्ति की जबरन बिक्री से संबंधित जानकारी को हटाने के लिए कहा गया था।
- सुनवाई करते हुए CJEU ने मौलिक अधिकारों पर यूरोपीय संघ चार्टर के अनुच्छेद-7 (निजी और पारिवारिक जीवन के लिए सम्मान) तथा अनुच्छेद-8 (व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा) का हवाला देते हुए कहा कि सर्च इंजनों को डेटा को हटाने के लिए व्यक्तिगत अनुरोधों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर तब जब डेटा अपर्याप्त या अप्रांसगिक हो।
- इस निर्णय के बाद RTBF का महत्व काफी ज्यादा बढ गया।
- पुट्टुस्वामी VS भारत संघ मामले में (2017) भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने RTBF को निजता के अधिकार के एक भाग के रूप में माना था।
- भारत में RTBF मूलतः अनुच्छेद-21 के तहत निजता के अधिकार एवं अनुच्छेद-14 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन/गरिमा के अधिकार से उत्पन्न हुआ है।
- RTBF व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह इंटरनेट सर्च इंजन या अन्य किसी वेबसाइट से अपने संबंध में प्रकाशित किसी सूचना को हटाए जाने के लिए कह सकता है, जब वह जानकारी अप्रासंगिक हो गया हो।
- RTBF को यूरोपीय संघ में वैधानिकता प्राप्त है, साथ ही यूनाईटेड किंगडम और यूरोप के कई अन्य न्यायालयों द्वारा इसे बरकरार रखा गया है।

✓ सूचनात्मक आत्मनिर्भर :

- यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन में इसे अनुच्छेद-17 में "मिटाने के अधिकार" के रूप में वर्णित किया गया है।
- यहाँ रिवेंज पोर्न के पीडितों से लेकर इन व्यक्तियों के लिए, जिनके व्यक्तिगत डेटा इंटरनेट पर उपलब्ध है, RTBF एक महत्वपूर्ण उपाय है।

✓ यूरोप के मामले :

- इटली के एक रेस्तरां में 2008 में एक व्यक्ति ने अपने भाई को चाकू मार दिया था।
- 2015 में RTBF के तहत इस मामले को हटाए जाने के लिए इटली के एक समाचार वेबसाइट को निर्देश दिया गया था।

✓ भारत में व्याख्या :

- भारत में RTBF को निर्धारित करने वाला कोई वैधानिक ढाँचा उपलब्ध नहीं है।

Result Mitra

- पुट्टुस्वामी मामले में RTBF के बारे में SC ने कहा था कि इस अधिकार का तात्पर्य यह नही है कि पहले के अस्तित्व को ही हटा दिया जाना चाहिए।
- वास्तव में इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई व्यक्ति जो अब अपने व्यक्तिगत डेटा को संग्रहित नहीं करना चाहता है, उसके पास इसे हटाने की सक्षमता होनी चाहिए, जहां ऐसे डेटा अप्रांसगिक हो या किसी वैध हित में काम नहीं करती हो।

➢ न्यायालय ने इस फैसले में RTBF के उल्लंघन के लिए वैध औचित्यों की सूची भी दी, जिसमें शामिल है :

1. अभिव्यक्ति एवं सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग,
2. कानूनी दायित्वों के अनुपालन के लिए,
3. सार्वजनिक कार्यों के हित में किए गए निष्पादन के लिए,
4. वैज्ञानिक या अन्य शोध उद्देश्यों के लिए,
5. कानूनी दावों की स्थापना के लिए,

➢ अर्थात उपरोक्त स्थितियों में किसी व्यक्ति के RTBF पर युक्तियुक्त निर्वधन लगाया जा सकता है।

✓ RTBF पर न्यायालयों के फैसले :

1. राजगोपाल VS तमिलनाडु, 1994

- इस मामले में SC ने 'अकेले रहने के अधिकार' के बारे में फैसला सुनाया था।
- SC ने कहा था, एक नागरिक को स्वयं, अपने परिवार, विवाह, प्रजनन, मातृत्व, बच्चे पैदा करने एवं अन्य मामलों में निजता की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।
- कोई भी व्यक्ति उपरोक्त मामलों से संबंधित किसी भी तथ्य का प्रकाशन संबंधित व्यक्ति के सहमति के बिना नहीं कर सकता है, चाहे वे तथ्य सत्य हो या झूठ।
- अदालती फैसलों के सार्वजनिक रिकॉर्डों के संबंध में SC ने कहा कि एक बार जब कोई मामला सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला बन जाता है तो उस पर निजता का अधिकार स्वयं खत्म हो जाता है और यह मीडिया-प्रेस आदि के लिए टिप्पणी के लिए वैध विषय बन जात है।

2. धर्मराज भानुशंकर VS गुजरात 2017

- इस मामले में याचिकाकर्ता ने गुजरात HC से हत्या एवं अपहरण के मामले में अपने बरी होने के विवरण को हटाने के लिए कहा था, जो ऑस्ट्रेलियाई वीजा का आवेदन करते समय उसकी पृष्ठभूमि जाँच के दौरान सामने आया था।

Result Mitra TM

- अदालत ने उसे राहत देने से मना कर दिया और कहा कि अदालत के आदेशों को सार्वजनिक डोमेन में रहने की अनुमति है।

3. दिल्ली HC, 2021 :

- इस मामले में अमेरिकी कानून के छात्र जोरावर सिंह को दिल्ली HC ने राहत दी थी।
- दरअसल पूर्व में जोरावर सिंह को नशीले पदार्थों से जुडे एक सीमा शुल्क मामले में बरी कर दिया गया था।
- HC ने उसकी सूचना हटाए जाने के लिए इसलिए सहमति दी, ताकि जोरावर सिंह के सामाजिक जीवन और करियर के संभावनाओं पर नकारात्मक असर न पडे।

4. उडीसा HC :

- 2020 में रिवेंज पोर्न से संबंधित एक मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन भुला दिए जाने की कानूनी संभावनाओं पर व्यापक बहस की आवश्यकता है।

✓ भारत में गोपनीयता की रक्षा के लिए विधायी व्यवस्था :

1. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण एक्ट, 2019

- इसमें व्यक्तिगत डेटा से जुडे व्यक्तियों की गोपनीयता को सुरक्षा प्रदान किया जाता है।
- इसके लिए भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

Result Mitra

2. सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, 2000

- यह एक्ट कम्प्यूटर प्रणाली से डेटा के संबंध में उल्लंघनों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- इस एक्ट में कम्प्यूटर प्रणाली से संग्रहित डेटा के अनाधिकृत प्रयोग पर रोक लगाई गई है।

✓ यूरोपियन कोर्ट :

- यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस यूरोपीय संघ का सर्वोच्च न्यायालय है।
- इसकी स्थापना 1951 में की गई थी।
- इसका HQ लक्जमबर्ग में हैं।

- रोम संधि के अनुच्छेद-164 के तहत यूरोपीय संघ न्यायालय को वहां के मामलों में सर्वोच्च व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है।

Result Mitra